

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

सं०सं०-०४/नि०स्था०/राज० (विविध)-३०/१२(खंड)

आदेश

उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के अधीन श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, नवप्रोन्नत सहायक उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त कोषागार संहिता के नियम-८४ के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना का अगले आदेश तक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

दिनांक.....

ज्ञापांक-.....

सं०सं०-०४/नि०स्था०/राज० (विविध)-३०/१२(खंड)

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

दिनांक.....

ज्ञापांक-.....

सं०सं०-०४/नि०स्था०/राज० (विविध)-३०/१२(खंड)

प्रतिलिपि :- सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

दिनांक.....

ज्ञापांक-.....

सं०सं०-०४/नि०स्था०/राज० (विविध)-३०/१२(खंड)

प्रतिलिपि :- श्री रंजीत कुमार, उप उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/ श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, नवप्रोन्नत सहायक उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

दिनांक ०२.०१.२०१९

ज्ञापांक- ३३

सं०सं०-०४/नि०स्था०/राज० (विविध)-३०/१२(खंड)

प्रतिलिपि :- सरकार के अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ उद्योग निदेशक के निजी सहायक/अपर उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग/सभी उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आईटी० प्रबंधक, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।